

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मैसर्स मोहन संस आदि बनाम संदीप कौर आदि


किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 12 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/248

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

17.06.2025


प्रार्थी मैसर्स मोहन संस एगोटेक प्राइवेट लिमिटेड एफ-47, मालवीय इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर जरिये डायरेक्टर रूकसाना पत्नी शलेन्द्र गर्ग निवासी एफ-47 मालवीय इण्डस्ट्रीज एरिया, जयपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री जसप्रीत सिंह सैनी के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 5 एम के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 ता 5, व मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 1, 10, 11 के रास्ते के संबध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

२१/०७/२५

पत्रावली पेशी मे ली गइ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) CrP को प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस प्रकरण मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (क) CrP खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्यात होकर गून्वर से कम होकर दाखिल कइतर हो।




सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)